PWD
UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 351 /16 ला० दिनांक 06/02/2025

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/35879 /2018 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/71/2019/एफसी/2563 दिनांक 31.03.2021 एवं आपका पत्र संख्या 149/12–1(2) दिनांक 17.07.2021 एवं पत्र संख्या 3300/12–1(2) दिनांक 06.04.2023, 2261/12–1(2) दिनांक 25.01.2025 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की **संशोधित** बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी, इसका अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक **वनीकरणः**–	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.49 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हों, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु वांधित धनराशि रू0 5,52,644.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न–संलग्नक–1)
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बरसिर के ग्राम बच्वाड तहसील जखोली जनपद रूद्रप्रयाग के ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9–3(ङ) के खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 2054 रकवा 0.741 हे0 एवं खसरा 2085 रकवा 0.850 हे0 मध्ये 0.749 हे0 कुल रकवा 1.490 हे0 भूमि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1315/26–18/2020–21 दिनांक 16.12.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में इंगित प्रयोजन हेतु हस्तान्तरण /नामान्तरण किया गया है (संलग्नक–2) पौधारोपण हेतु डिजिटल मानचित्र coordinates सहित संलग्न है (संलग्नक–3)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किय जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु वांधित धनराशि रू0 5,52,644.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न–संलग्नक–1) तथा उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः–	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202 / 1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत **0.745 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.745 हे0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 6,29,525.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमति है, एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–2)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 56 trees and 9 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यरूवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना अभिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन में जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)।
8	गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सकरार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा (संलग्न–3)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारे पर पौंधों की संख्या बढायेगा।	अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–4)
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैंस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है–संलग्नक–5)।
16	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	अनुपालन कर दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–6)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।

18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्ल्घन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–7)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागूं होंगी।	अनुपालन किया जायेगा। वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–8)।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नीवित करने का कार्य करेगा। मलवे मको यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है, संलग्नक–9)।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

O/C

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11055/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015) Construction of Mamni-Uroli Motor Road under State sectore	ROAD110552015179	6111055179	01 Dec 2017	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Change User Agency : 100000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 100000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Oct 2022 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 07 Nov 2022 Transaction Date 21 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151020221157226576_FPUKROAD110552015_User_Fund_Demanded_61422.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD110552015179)
2	FP/UK/ROAD/35879/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35879/2018) Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor road under District Sector	ROAD358792018491	6135879491	31 Mar 2021	CA: 552644/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 629525/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1182169/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :28 Jul 2021 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Oct 2022 Transaction Date 02 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71123121712164EIY0DemandNote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD358792018491)
3	FP/UK/ROAD/43416/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43416/2019) Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Gaon Motor road	ROAD434162019703	6143416703	10 Sep 2021	CA: 146400/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 103478/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 249878/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Apr 2022 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :25 Jul 2022 Transaction Date 02 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180420221517544241_FPUKROAD434162019_User_Fund_Demanded_8620O.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD434162019703)
4	FP/UK/ROAD/121750/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/121750/2021) Construction of Dungra (Bachansyu) to Arsuin Motor road under State Sector	ROAD1217502021165	61121750165	29 Nov 2021	CA: 1253649/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1110330/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2363979/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 09 Dec 2021 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 12 May 2022 Transaction Date 24 May 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/061220211626287210_FPUKROAD1217502021_User_Fund_Demanded_1T631.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1217502021165)

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Y2A10 (85) D/ 13/10/22

जाखनी से टेहडवाल गांव मोटर मार्ग के निर्माण की एन.पी.वी. की धनराशि का चालान

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

SBI भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : RUDRA PRAYAG.

दिनांक/Date : 31/10/22

Received From ....

.... से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on : ....

बैंक / Bank : Union Bank of India

शाखा / Branch : FCS Center 211 III Floor Jelitta Tower mission Road Bengaluru

के पक्ष में / Favouring : Uttaranchan Campa

आईएफएससी कोड / IFSC Code : UBIN0996335

खाता संख्या / Account No. : 1500961358794911

राशि / रुपये / Amount ₹ :	1182169=00
बैंक प्रभार/Bank charges ₹:	
योग / Total ₹ :	1182169=00

राशि / Rupees (in words) : Eleven Lac Eight Two thousand one hundred Sixty nine only.)

photo copy attested

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता

प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

::आदेश::

तहसीलदार जखोली द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 195/रजि0–विविध/2021-22 दिनांक 10 अगस्त, 2021 से जनपद रूद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.07.2021 को वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों के साथ मिलकर पूर्व चयनित खसरा संख्या [illegible]226 मध्ये रकबा 1.490 है0 भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो कि पूर्व से ही वन स्वरूप है तथा आपत्ति जताई गई है। पुनः निरीक्षण के दौरान उपयुक्त भूमि चयनित की गई, जो कि ग्राम बच्वाड़ की जमींदारी विनाश सहित खतौनी खाता संख्या–15 के खसरा संख्या 2054 रकबा 0.741 एवं खसरा संख्या– 2085 रकबा 0.850 मध्ये 0.749 है0 कुल 1.490 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। प्रस्तावित भूमि श्रेणी–9(3)ड की है तथा सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक 30–11–2022 से अवगत कराया गया कि जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.745 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बच्वाड़ की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी– 9–3(ड) के खाता संख्या– 15 के खसरा संख्या– 2054 रकबा 0.741 है0 एवं खसरा संख्या– 2085 रकबा 0.850 है0 मध्ये 0.749 है0 कुल 1.490 है0 भूमि का दिनांक 31.10.2022 को प्रस्तावक विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गयी।

अतः शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार जखोली द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बरसिर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बच्वाड़ की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी– 9–3(ड) के खाता संख्या– 15 के खसरा संख्या– 2054 रकबा 0.741 है0 एवं खसरा संख्या– 2085 रकबा 0.850 है0 मध्ये 0.749 है0 कुल 1.490 है0 चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।
14–12–2022

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1315 /छब्बीस–18/2020–21/ दिनांक: रूद्रप्रयाग: 16, दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग 02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–[illegible] उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

–––क्रमशः–––

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या–1600 /26–18(I)(2020–21) दिनांक रूद्रप्रयाग 01 जनवरी, 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– जाखणी–टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.490 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या– 1315/छब्बीस–18/2020–21 दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बच्वाड़ की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 15 के खसरा संख्या– 2054 रकवा 0.741 है0, एवं खसरा संख्या– 2085 रकवा 0.850 है0 मध्ये 0.749 है0 कुल 1.490 है0 चयनित /प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार जखोली द्वारा पत्र संख्या–537/र0का0– विविध/2021–22 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 से अवगत कराया गया है कि रा0उ0नि0 बरसिर द्वारा ग्राम बच्वाड़ की ज0वि0र0 खतौनी के खतौनी खाता संख्या– 15 में नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज0वि0र0 खतौनी की नकल की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधि.अभि., प्रा0खं0, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।

2– उप जिलाधिकारी जखोली।

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

Rn'c-2721/ERK/विविध/प०सं०-73
Dt-29/12/2022

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

O/LAC

सेवामें,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

संख्या :– 538 /र0का0–विविध /2021–22 दिनांक जखोली दिसम्बर 22 2022

D.M. 20/12/22

महोदय,

जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1315/छब्बीस–18 (2020–21) दिनांक रूद्रप्रयाग 16 दिसम्बर 2022 के द्वारा ग्राम बच्चवाड की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9–3 (ड.) के खाता संख्या 15 के खसरा संख्या 2054 रकबा 0.741 है0 एवं खसरा संख्या 2085 रकबा 0.850 है0 मध्ये 0.749 है0 कुल 1.490 है0 चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया गया है। नकल खतौनी संलग्न है।

अतः आख्या महोदय की सेवामें प्रेषित।

संलग्न– यथोपरि

भवदीय
22/12/22
तहसीलदार
जखोली

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
जखोली

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश सं० 1315/ छब्बीस-18/2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग 16 दिसम्बर 2022 के अनुपालनार्थ आपके आदेश दि०- 19/12/22 के क्रम में जाखणी-टेंडवाल मोटरमार्ग के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बच्छवाड़ की ब० वि० ए० खाता सं० -15 के खसरा सं०. 2054 रकबा 0.741 हे०, 2085 रकबा 0.850 मध्ये 0.749 हे० कुल 1.490 हे० भूमि उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग के नाम अमलदरामद कर नकल खतौनी अवलोकनार्थ प्रेषित।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Ajay
14/12/2022
R.K. बरसीर

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Scanned with CamScanner

नकल खतौनी ज0 वि0 र0

बच्छवाड़, रा0उ0नि0- बरसिर, तहसील- जखोली, जनपद- रुद्रप्रयाग

मुन्तखिब खतौनी खाता संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान	मुद्दत काश्त कब्जा	हाल खसरा नम्बर	रकबा है0 में	—
2	3	4	5	6	7-21
15	उत्तर प्रदेश सरकार वर्ग 6 (3) ङ बंजर	हाल बन्दोबस्त से पूर्व	1 2 । । 2054 2058 2085 । । 2761	1.414 0.351 । । 0.741 0.039 0.850 । । 0.254	आदेश - श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1315/ द0लीज-18/2020-21, दिनांक/रुद्रप्रयाग 16, दिसम्बर 2020 के अनुपालन के क्रम में अरिखली रेण्डवाल मोटरमार्ग के रवना के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बच्छवाड़ की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 15 के खसरा नम्बरान 2054 रकबा 0.741 है0, 2085 रकबा 0.850 में से 0.749 है0 कुल 1.490 है0 भूमि उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के नाम हस्तांतरित कर अमलदरामद किया। Ajay 12/22/20 RSI बरसिर

नोट- नकल खतौनी असल से तैयार किया,

प्रतिहस्ताक्षरित
[signature] 22/12/20
सहरीलवार
जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रां0खं0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

Ajay 12/22/20
रा0उ0नि0
बरसिर
तहसील
जनपद - रुद्रप्रयाग

plc attested
A

सहायक अभियन्ता

डिजिटल मैप–जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 1.49 है0)

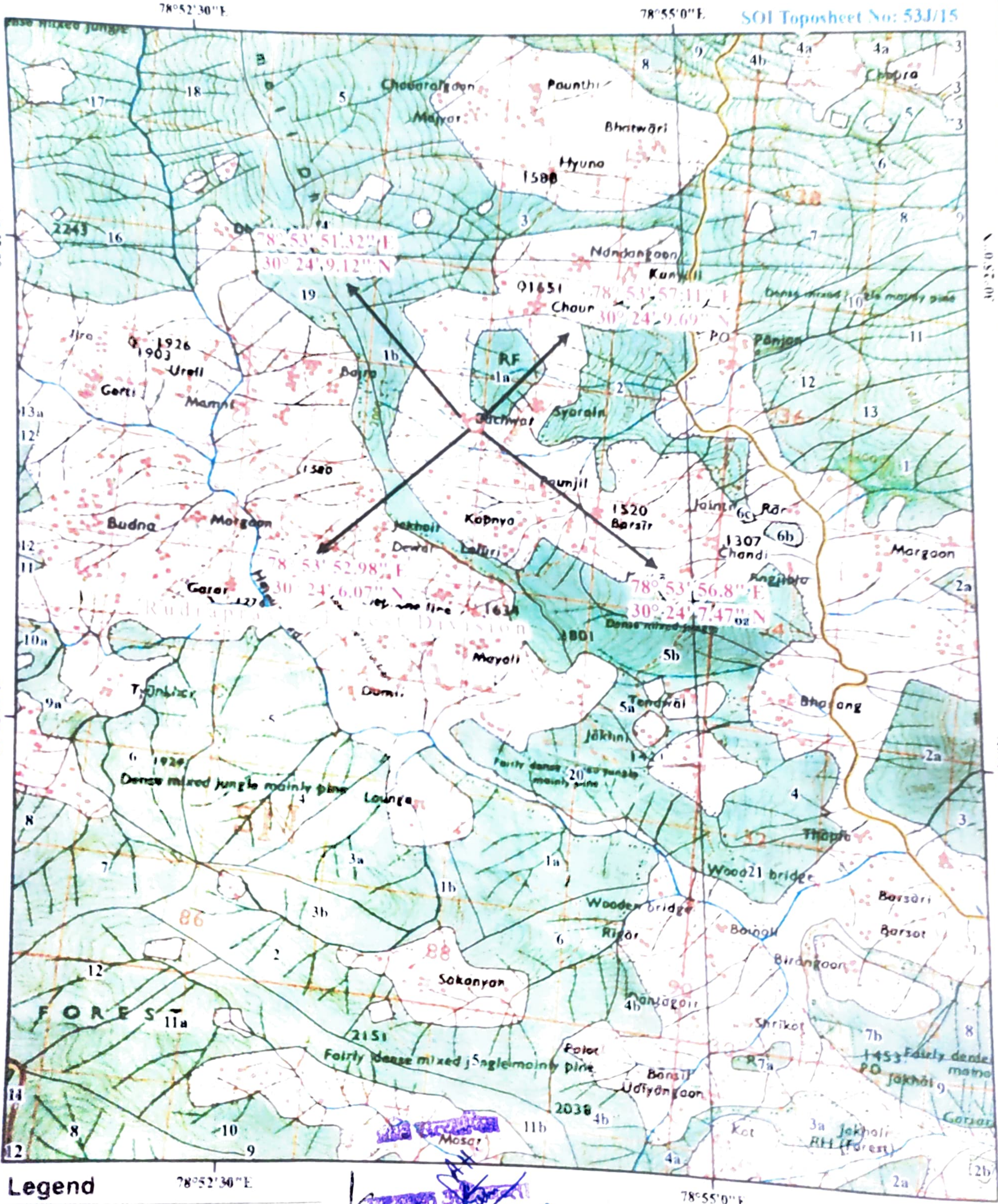

Legend

- Protected Area
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

Scale 1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

रेन्स मैप:-जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 1.49 है0)

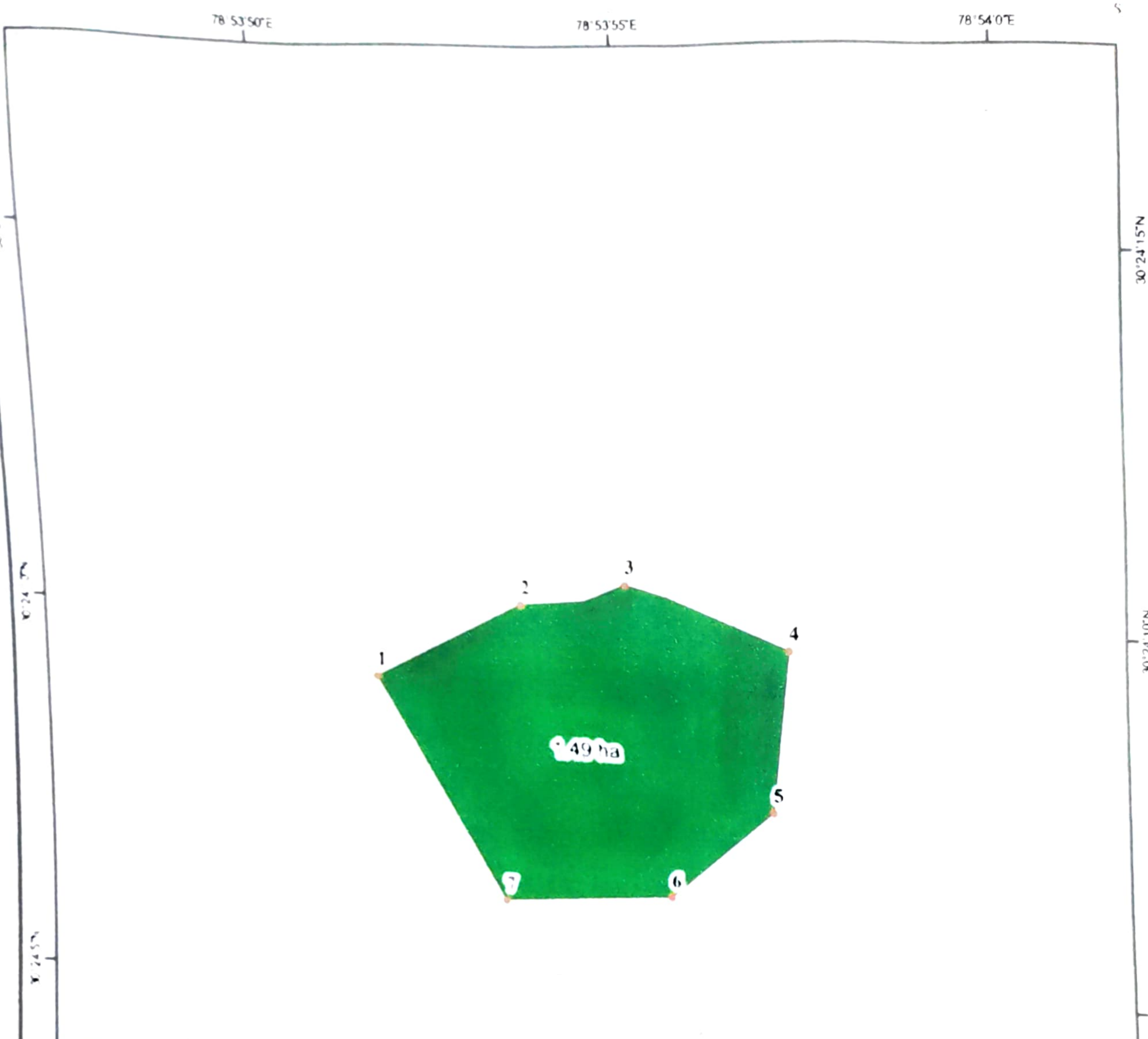

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 53' 51.32" E	30° 24' 9.12" N
2	78° 53' 53.39" E	30° 24' 10.18" N
3	78° 53' 54.86" E	30° 24' 10.5" N
4	78° 53' 57.11" E	30° 24' 9.69" N
5	78° 53' 56.8" E	30° 24' 7.47" N
6	78° 53' 55.32" E	30° 24' 6.22" N
7	78° 53' 52.98" E	30° 24' 6.07" N

Legend

GPS Location

Proposed Plantation Site

1:2,500

Prepared by: HGIS, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– ...लल्यूरी (टेण्डवाल)
तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात कुल 0.7450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लल्यूरी द्वारा दिनांक 27/01/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टेण्डवाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
लल्यूरी

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत लल्यूरी, विकासखण्ड जखोली (रूद्रप्रयाग)

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
के0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

दिनांक 27.1.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रेम प्रकाश कोठारी	[illegible]
2	नित्य प्रकाश कोठारी	[illegible]
3	लाखी राम कोठारी	लाखीराम
4	राम लाल कोठारी	रामलाल
5	द्वारिका प्रसाद कोठारी	द्वारिका
6	जगदम्बा कोठारी	जगदम्बा
7	नरेश कोठारी	नरेश
8	रुद्रानन्द कोठारी	रुद्रानन्द
9	चिन्तामणी कोठारी	चिन्तामणी
10	शान्ती लाल	शान्ती लाल
11	शिव प्रसाद कोठारी	शिव प्रसाद कोठारी
12	जनार्धन प्रसाद कोठारी	जनार्धन प्रसाद
13	शिरोमणी कोठारी	शिरोमणी
14	मुकेश लाल	मुकेशलाल

संलग्न है।

P/c Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 ग्राम प्रधान
जखोली (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0 (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 अ[illegible]क्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात कुल 0.7450 हे0 वन [illegible]) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और [illegible] परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील जखोली) की दिनांक 9/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री Gopal ..., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी ——— जखोली ——— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी ——— [illegible] ——— सदस्य
3– श्री [illegible] गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी— जखोली सदस्य / सचिव
4– श्रीमती [illegible] देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] —जखोली सदस्य सरिता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली मे जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0 परियोजना हेतु 0.7450 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुपसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.7450 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जखोली जनपद रूद्रप्रयाग

(श्रीमती सरिता देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य ललूड़ी
वि0 ख0 जखोली रूद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--48 Dated-----26/9/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7450 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Tendalwalgaon** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .. to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 26/9/18 at time 2-00pm at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.7450 hect** for the **Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:....26.9.18....

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। **FP/UK/Road/35879/2018**

प्रमाणित किया जाता है कि जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)।

Addl. Assistant Engg.
P.D. P.W.D.
Rudraprayag

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

जाखणी से टेंडवाल गांव मोटर मार्ग

AAE
Assistant Engineer
P.W.D.
Rudraprayag

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सही सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
रुद्रप्रयाग

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

वन्य जीव / वनस्पतियो को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Plc attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting	4500.00	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	1800.00	cum
	Total	6300.00	Cum
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	700.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	800.00	cum
3	Hand packed Stone filling	400.00	cum
4	Construction of Wire crate	400.00	cum
5	Construction of Parapet	100.00	cum
6	Granular sub base /base/surface	700.00	cum
7	Construction of Scupper	1000.00	cum
8	Construction of Road side Drain	150.00	cum
9	Super elevation & Patri filling	1050.00	cum
10	Concrete work	100.00	cum
11	Total	5400.00	cum
12	Material Disposal by Cartage	900.00	cum

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	5400.00 cum	900.00 cu	5400.00 cum	900.00 cum

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

PR attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Khasara No. (compartment)	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	X.S 0/25	Reserve forest	5a	0.0225	2.00 M	450.00 cum	78°54'43.858"E 30°22'39.639"N
2	X.S.-0/35	Reserve forest	5a	0.0225	2.00 m	450.00 cu	78°54'44.858"E 30°22'44.171"N

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

प्रमाणित सत्यप्रति
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग